



बिहार सरकार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962



# पशुपालन निदेशालय, बिहार

पत्रांक - 12नि०/प०ग० (लो०सू० विविध) 01/2017 प०पा 1328 (नि०) दिनांक - 03/05/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन,

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/मगध क्षेत्र, गया/उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/सारण क्षेत्र, छपरा/भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर/कोशी क्षेत्र, सहरसा/पूर्णिमा क्षेत्र, पूर्णिमा/दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा।

विषय :- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेशों से अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय के पत्रांक-555 (नि०) दिनांक-22.02.2018, 973 (नि०) दिनांक-23.03.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करें।

उक्त पत्र के द्वारा आपको अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवस्थित/अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से अपने-अपने प्रक्षेत्र से संबंधित सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-4 (1) (ख) (छायाप्रति संलग्न) में अंकित 17(सतरह) बिन्दुओं पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत हस्तक तैयार कर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु आपको निदेशित किया गया था, ताकि सरकार प्रभार को इसे उपलब्ध कराया जा सके। यह अत्यन्त ही खेद का विषय है कि आपके स्तर से वांछित प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है। पूर्णियां और दरभंगा से क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है परन्तु इनके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया है।

अतः आपको स्मारित किया जाता है कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विदित हो इस कार्य हेतु आपके स्तर से की गई किसी भी लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। जिसके परिणामतः आपके विरुद्ध नियमसंगत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन,

ज्ञापक-12नि०/प०ग० (लो०सू० विविध) 01/2017 प०पा.....1328 (नि०) पटना-15. दिनांक- 03/05/2018

प्रतिलिपि-श्री ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-निदेशक के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी०मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।